

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 08.01.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रनिया पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. सुनील कुमार पुत्र कैलाश कठेरिया निवासी ग्राम उमरन थाना रनिया कानपुर देहात उम्र 19 वर्ष 2. तरून पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम उमरन थाना रनिया कानपुर देहात उम्र 35 वर्ष अभियुक्तगण के कब्जे से 45 क्वार्टर देशी नाजायज ट्रिवन टावर की शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 006/2026 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त बबलू पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम ततारपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 34 वर्ष अभियुक्त के कब्जे 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-15/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0 2/2023 धारा- 376/506 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त दीपू उर्फ विजय कुमार पुत्र जगमोहन निवासी गहोबा थाना रूरा कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी
- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1259/21 धारा - 138 एनआई एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामेश्वर उर्फ गंगाराम पुत्र स्व0 देवीदयाल नि0 कुरियन पुरवा थाना रूरा कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।